



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.11.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में डकैती के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 08 माह कठोर कारावास व कुल 10,000/- रू0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-014/2006 धारा 399,402,412,307 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक बिन्द पुत्र कैलाश चौधरी निवासी पुराना भोजपुर थाना डुमराव जिला बक्सर बिहार को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-28.11.2024 को माननीय न्यायालय स्पे0 जज भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0) जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अशोक बिन्द उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 399 भा0द0वि0 में 08 माह के कठोर कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 402 भा0द0वि0 में 08 माह के कठोर कारावास व 2000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 412 भा0द0वि0 में 08 माह के कठोर कारावास व 2000/- रू0 अर्थदण्ड तथा धारा 307 भा0द0वि0 में 08 माह के कठोर कारावास व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।